न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 20/2020 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2020/00021**

1. शंकरलाल पुत्र रामचन्द्र जाति बिश्नोई निवासी चक 13 केपीडी तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।

1/1 महेन्द्र कुमार
1/2 मूर्ति देवी
1/3 अनसुईया

} पुत्र/पुत्रीयां स्व. शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 13 केपीडी तहसील छत्तरगढ़, जिला बीकानेर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान जरिये उप वन संरक्षक इगानप छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. राजस्थान राज्य।

– रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः श्री राजेश बैद अभिभाषक अपीलांट्स
प्रभारी अधिकारी, सहायक वन संरक्षक छत्तरगढ़ अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

निर्णय

दिनांक 03.02.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर के निर्णय दिनांक 18.05.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादगत भूमि चक 13 केपीडी के मुरब्बा नंबर 139/52 की 25 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वन विभाग के दर्ज है। तहसीलदार (राजस्व) छत्तरगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 25.03.2004 द्वारा उक्त वादगत भूमि अपीलांट शंकरलाल(मृतक) के नाम अमल दरामद करने हेतु डी–फोरेस्ट की कार्यवाही प्रारम्भ करने के आदेश पारित कर दिए। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने तहसीलदार के उक्त आदेश दिनांक 25.03.2011 के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर ने अपने निर्णय दिनाक 18.05.2011 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) छत्तरगढ़ के निर्णय दिनांक 25.05.2004 निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर के निर्णय दिनांक 18.05.2011 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त वादगत भूमि तत्कालीन सक्षम आंवटन अधिकारी सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ के द्वारा दिनांक 10.07.1986 एवं मुरब्बा नंबर 139/53 के किला नंबर 4 व 5 दो बीघा स्मॉल पेज दिनांक 31.12.1997 को सक्षम अधिकारी उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला द्वारा किया गया। जिसकी समस्त किश्त खजानाराज में जमा करा दी गई। मृतक शंकरलाल को मौके पर कब्जा दिनांक 20.07.1986 को दिया जाकर कब्जा सुपुदर्गी प्रमाणपत्र दे दिया गया तब से जीवनपर्यन्त उनका कब्जा काश्त रहा। वादगत भूमि बिना किसी सक्षम अधिकारी द्वारा रेस्पोडेन्ट नंबर 1 को आंवटन के ही वन विभाग के नाम दर्ज कर दिया गया इसलिए अपीलांट के पूर्वज शकरलाल ने असिस्टेट लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर की हेसियत से तहसीलदार छतरगढ़ के समक्ष अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की कार्यवाही राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश दिनांक 16.01.2004 में अनुसरण में की गई। जहां विस्तृत विचारण के पश्चात विचारण न्यायालय ने प्रार्थी के नाम का अंकन किये जाने के आदेश प्रदान कियें। वादगत भूमि कभी वन विभाग को विधिवत रूप से आंवटन ही नही हुई, ना ही किसी भी अधिसूचना से वन अधिनियम के तहत रिजर्व फोरेस्ट के रूप में संरक्षित किये जाने हेतु कोई कार्यवाही ही की गई थी। अर्थात वनविभाग को वादगत भूमि का विधिवत आवंटन हुआ नही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जिस पत्रांक दिनांक 10.05.1975 का उल्लेख किया है तथा लिखित बहस में एनेक्सचर 5 का हवाला दिया है उक्त एनेक्चर पत्रांक ना होकर पेज नंबर 21 से 29 तक जमाबंदी प्रस्तुत की गई। जो किसी भी रूप से आवंटन को सिद्ध नही करती है। राज्य सरकार द्वारा वनविभाग या किसी अन्य संस्था को भूमि आंवटन की कार्यवाही की जाती तो उसकी अधिसूचना जाती है जो गजट में प्रकाशन के दिन प्रभावी होती है ऐसी कोई सूचना वादगत भूमि बाबत गजट में प्रकाशित नही हुई है ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध कराई गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा ने उच्चतम न्यायालय निर्णय दिनांक 12.12.1996 की व्याख्या गलत रूप से की गई हैं उक्त निर्णय प्रस्तुत प्रकरण में लागू नही होता है। प्रस्तुत मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय का तीजादेवी बनाम स्टेट प्रकरण का निर्णय बखूबी लागू होता है कि जहां मामला दो विभाग, राजस्व विभाग एवं वन विभाग के मध्य हो वहा दोनों विभाग काश्तकारों के अधिकारों को ध्यान मे रखकर निर्णय करे। ऐसे मामलों मे जहां काश्तकार आबाद हो औन वन विभाग ने किसी प्रकार वन विकास काय्र वादगत भूमि पर नही किया हो वहा वन विभाग को दूसरी भूमि देने का निर्णय किया गया है। इस प्रकार विचारणीय न्यायालय द्वारा वन विभाग को इसके बदले अन्य भूमि राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी जाने का

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय पूर्णत विधिसम्मत् एवं साम्य के सिद्धांत पर उचित निर्णय पारित किया था लेकिन प्रथम अपील न्यायालय ने बिना विधि के सिद्धांतों पर गहनता से विचार किये मनमाने एवं स्वेच्छाचारी तरीके से अपीलांट के विरूद्ध मन मनाकर आदेश जैर अपील पारीत करने में कानूनी गलती की है। उपनिवेशन विभाग व वन विभाग में मध्य भूमि हस्तान्तरण के दस्तावेज निष्पादित किये गये थे जिसके तहत केवल अनकामण्ड भूमियां ही वन विभाग को इस शर्त के साथ दी जानी थी कि उक्त भूमियों में से भविष्य मे जो भूमि कमाण्ड हो जायेगी वन विभाग वापस उपनिवेशन/राजस्व विभाग को सुपुर्द कर देगा। इसके तहत वादगत भूमि जो कि कमाण्ड श्रेणी की है सूचियों के द्वारा पुनः राजस्व विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में अकंन नहीं हटाया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.12.1996 का सम्मान करते हुए निवेदन है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 संशोधित अधिनियम 2003 के प्रावधानों के तहत वादगत भूमि डीफोरेस्ट की कार्यवाही हेतु भी विचारणीय न्यायलय ने आदेशित किया है जो पूर्णत उचित है। वादगत भूमि वास्तव में वन विभाग भूमि है ही नही ना तो उक्त भूमि वन विभाग को आवंटीत है, ना ही मौके पर वन विभाग का कब्जा है ना ही वादगत भूमि किसी प्रकार का वन विकास कार्य विभाग द्वारा किया गया है। केवल मात्र जमाबंदी के इन्द्राज धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आकर्षित नही करके इसलिए अपीलांट को माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाकर विचारणीय न्यायालय के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त करने पडें। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुवानी रूपराम व अन्य बनाम सरकार का जजमेन्ट इन रेम की श्रेणी का होने के कारण उक्त निर्णय के शियूडल ए में वर्णित याचीगण के समकक्ष अन्य आवंटी कृषको के मामलों का निस्तारण उकत निर्णय अनुसार किये जाने के निर्देश दिये है। जिसके अनुसार (A) Raj-Colonisation(Allotment and Sale of Govermane land in the Indira Gandhi canal colony area) Rules 13-A-Raj. Colonisation Actrr dt 5-01-1991 of state Govt for allotment of land by way of special allotment petitioners filed applecations - After detailed enquiry th allotting Authority passed allotment orders in favour of petitioners- Petitioners deposted 35% of price - Earnest money also deposited - Petitioners have completed all the formalities required under Rules Held simply because a formal letter has not been issued for allotment it cannot be said that the petitioners cannot be put into possesion of the land - in such cases allotment orders be issued and possession of the land be handed over.

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

इस प्रकार अपीलांट वादगत भूमि को अपने नाम से दर्ज करवाने का हकदार थे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर आदेश दिनांक 18.05.2011 को निरस्त फरमाया जावें।

3— प्रभारी अधिकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त वादगत भूमि राजस्व रिकॉर्ड में बतौर वन विभाग दर्ज है। वादगत भूमि उपशासन सचिव के पत्र 3ए(93)राज/उप/75 दिनांक 10.05.1975 से वन विभाग को आवंटित है। जमावंदी में भी वन विभाग के नाम दर्ज है। माननीय उच्चतम न्यायालय में भी सिविल रिट नं. 202/1995 टी. एन गोदावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित निर्णय दिनांक 12.12.1996 में वन भूमि के बारे में निर्देश दिये है कि कोई भी भूमि जो राजकीय रिकॉर्ड में वन भूमि के बारे में रूप में दर्ज है उस पर केन्दीय कानून वन संरक्षण अधिनियम 1980 के समस्त प्रावधान लागु होगे चाहे भूमि का वर्गीकरण एवं स्वामित्व किसी भी प्रकार का हो, ऐसी भूमि पर केन्द सरकार की पूर्वानुमति के गैर वानिकी कार्य अनुज्ञय नहीं होगें। इस प्रकार अपीलांट द्वारा अवैध रूप से उक्त भूमि पर काविज रहकर काश्त किया जाना माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.12.1996 की अवहेलना की श्रेणी में आता है। ऐसी विधि सवंत् दस्तावेज या साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सावित होता है कि उक्त भूमि का आवंटन वन विभाग से निरस्त किया गया हो अर्थात विना वन विभाग का आवंटन निरस्त किये उक्त भूमि आवंटनकर्ता को आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार विना आवंटन के बल पर प्रश्नगत भूमि पर उसका स्वामित्व जताना एवं राजस्व विभाग द्वारा उसके हक स्वरूप खातेदारी उसके नाम से अंकन पानी की बारी इत्यादि निरस्त योग्य है। प्रश्नगत भूमि पर अवैध कब्जा काश्त के आधार पर बेदखल योग्य है। तहसीलदार राजस्व छत्तरगढ़ बीकानेर के निर्णय दिनांक 25.03.2004 में वन विभाग को पार्टी नही बताया गया था तो निर्णय एवं अपील प्रक्रिया राज्य सरकार की अनुमति के बाद अपील की जा सकी है तथा श्रीमान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा दिनांक 26.10.2004 को तहसीलदार छतरगढ़ के निर्णय दिनांक 25.03.2004 के अपील लगाये जाने का निर्णय लिया एवं माननीय न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर में अपील संख्या 05/2005 राजस्थान सरकार वन विभाग जरिये उप वन संरक्षक बनाम तहसीलदार छतरगढ में 15.02.2005 को लगाई। उच्चतम न्यायालय ने टी.एन गोदावर्मन बनाम युनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य इन पिटिशन नं. 202/95 में दिनांक 12.12.1996 के निर्णय में वन विभाग भूमि के बारे में निर्देश दिये है सरकार रिकॉर्ड में जो भूमियां वन भूमि के रूप में दर्ज हो चुकी है उन भूमियों पर फोरेस्ट कन्जरवेशन एक्ट 1980 के समस्त प्रावधान लागू होगें। चाहे भूमि का वर्गीकरण या स्वामित्व किसी भी प्रकार का

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

हो। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्देश प्रदान किये हे कि वन भूमि में गैर वानिकी कार्यो के लिए केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक है तथा बिना केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के कोई भी कार्य अनुज्ञेय नहीं है। प्रभारी अधिकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उच्चतम न्यायालय के प्रकरण Writ petition (c) No-301/2018 with IA 9108/2024 और Zupdi jungle land - IA No 12465 of 2019 को अवलोकनीय बताया। अतः अपील अपीलांट निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर का निर्णय दिनांक 18.05.2011 यथावत रखा जावें।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, न्यायिक दृष्टांत एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर के निर्णय दिनांक 18.05.2011 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) छत्तरगढ़ के निर्णय दिनांक 25.03.2004 को निरस्त करते हुए अंकित किया कि वन भूमि पर केन्द्रीय कानून वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 लागू होता है। वन भूमि को गैरवानिकी उपयोग में नही लाई जा सकती। उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वन भूमि के रूप दर्ज है। तहसीलदार ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.01.2004 की सही विवेचना नही की है। सरकारी रिकॉर्ड में जो भूमियां वन भूमि के रूप में दर्ज हो चुकी है उन भूमियों पर फोरेस्ट कन्जरवेशन एक्ट 1980 के समस्त प्रावधान लागू होते है, चाहे फोरेस्ट भूमि का वर्गीकरण या स्वामित्व किसी भी प्रकार का हो। वन भूमि को बिना केन्दीय सरकार की पूर्व अनुमति के गैरवानिकी उपयोग भी विधि विरूद्ध है। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर के निर्णय दिनांक 18.05.2011 का अपीलाधीन आदेश नियमानुसार उचित होने पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझतें है। अतः अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.05.2011 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 03.02.2026 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर